कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

—: आदेश :—

यह पाया जा रहा है कि पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न विभागीय बैठकों में भाग लेने / छुट्टी में प्रस्थान करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी की पूर्वानुमति नहीं ली जाती है। मात्र आवेदन पत्र साधारण डाक में समर्पित कर मुख्यालय से प्रस्थान कर जाते है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में कार्यालय पत्रांक 999 / सी., दिनांक 19.08.2013 द्वारा भी आवश्यक निदेश दिया गया है, किन्तु स्थिति यथावत् है।

अतः पुनः निदेश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षी की पूर्वानुमति / स्वीकृति आदेश प्राप्त करने के उपरांत ही संबंधित पदाधिकारी मुख्यालय छोड़ेंगे तथा अपना मोबाईल फोन हमेशा स्विच ऑन रखना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा इसे गंभीरता से लेते हुए उक्त अवधि का वेतन अवरूद्ध करते आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जायेगा।

उपरोक्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

ह. / --
(आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक 1226 / सी., दिनांक 18.10.2013.

प्रतिलिपि :: सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी / बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा, किशनगंज जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: जिला प्रबंधक, आई.टी. समाहरणालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल हेतु प्रेषित।

18/10/13

(आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

Shyamal